संख्या-35/2015/1662 ई-2/तेरह-2015-47/2003

प्रेषक,

मोहम्मद जुनीद,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 10 अगस्त,2015

विषय:- मे0 धामपुर आसवनी, बिजनौर में स्थापित 100 किली0 प्रतिदिन क्षमता के अब्सोल्यूट अल्कोहल प्लान्ट में से 50 किली0 प्रतिदिन क्षमता के प्लान्ट को हटाकर उसके स्थान पर 150 किली0 प्रतिदिन क्षमता का अब्सोल्यूट अल्कोहल उत्पादन हेतु प्लान्ट स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-58/दो-प्रा0डी0-33, दिनांक 21 जुलाई,2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 21 जुलाई,2015 में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मे0 धामपुर शुगर मिल्स लि0, धामपुर, जनपद बिजनौर में पूर्व में स्थापित 50 किली0 प्रतिदिन क्षमता के अब्सोल्यूट अल्कोहल प्लान्ट को हटाकर उसके स्थान पर 150 किली0 प्रतिदिन क्षमता का मालीकूलर सीव प्रणाली आधारित प्लान्ट स्थापित करने तथा आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता के अन्तर्गत ही बाजार की मांग के अनुसार शोधित आसव, ई0एन0ए0, डी0एस0, एस0डी0एस0 एवं अब्सोल्यूट अल्कोहल का उत्पादन तथा विक्रय की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई इस सम्बन्ध में श्रम विभाग, पर्यावरण विभाग तथा केन्द्र/राज्य सरकार की सुसंगत विधियों एवं स्थानीय विधियों में विहित व्यवस्था/प्रतिबन्धों का पालन सुनिश्चित करेगी और आसवनी द्वारा बढायी गयी अब्सोल्यूट अल्कोहल उत्पादन क्षमता के निमित्त प्रदूषण नियंत्रण विभाग से नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।

कृपया तद्नुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(मोहम्मद जुनीद)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in